कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, कानपुर

पत्रांक–8796/का0क्षे0/333का0क्षे0–क0फ0वृ0/एन0ओ0सी0/21 दिनांक–15.09.2021

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
कन्नौज–फर्रूखाबाद वृत्त,
लो0नि0वि0, कन्नौज।

विषय जनपद फर्रूखाबाद में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 मथुरा द्वारा एटा कायमगंज फर्रूखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0–121) में खसरा सं0 659, 660क, 666ख ग्राम खारबन्दी भीखमपुर तहसील व जिला फर्रूखाबाद में नये पेट्रोल पम्प की स्थापना करने हेतु में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक–1118सी/35सी0–क0फ0वृ0/21 दि0–28.08.2021

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रस्तावित रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः स्थापित रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिये आपकी संस्तुति तथा शासनादेश संख्या–1882/23–12–19–1365/17 टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ 06 माह के अन्तर्गत रिटेल आउटलेट का निर्माण पूर्ण होने की शर्त के साथ प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:–

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के नये (पेट्रोल/डीजल पम्प) का निर्माण कार्य एटा कायमगंज फर्रूखाबाद मार्ग(राज्यमार्ग सं0–121) (शहरी भाग) के किमी0 100(730) में दायी ओर ग्राम खारबन्दी भीखमपुर तहसील व जिला फर्रूखाबाद के खसरा सं0 659, 660क, 666ख में प्रस्तावित है।
2. रिटेल आउटलेट हेतु निर्माण कार्य एटा कायमगंज फर्रूखाबाद मार्ग(राज्य मार्ग सं0–121) (शहरी भाग) के किमी0100 (730) में दायी ओर किया जायेगा।
3. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
4. यू0पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल 1964 के नियम 7 के अनुसार आवेदक को प्रस्तावित निर्माण एवं रिटेल आउटलेट(पेट्रोल) लगाने की अनुमति सड़क के मध्य से 18.29 मी0 अर्थात 60 फुट की दूरी पर निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किया जा सकता है:–

1क. आवेदक को निर्माण/पेट्रोल/डीजल पम्प लगाने की अनुमति के उपरान्त निजी खर्चे से दोनो ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा।

1ख. इस प्रकार की कोई भी स्थायी व अस्थायी संरचना नहीं की जायेगी जो सुलभ यातायात में बाधित हो अथवा दुर्घटना का कारण बने।

1ग. आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षा के पानी का बहाव इस प्रकार करना होगा कि पानी बिना अवरोध के सीधा नाली में ही आये। किसी भी दशा में नाली को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आये।

5. मानचित्र में दिये गये प्लान से निर्माण भिन्न होने की स्थिति में एवं उल्लिखित किन्हीं भी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा लोक निर्माण विभाग के समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिये। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
7. रिटेल आउटलेट(पेट्रोल/डीजल पम्प) के पहुँच मार्ग का रखरखाव भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के डीलर द्वारा स्वयं के व्यय पर करना अनिवार्य होगा।
8. उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
9. बफर स्ट्रिप का निर्माण शासनादेश संख्या–1882/23–12–19–1365/17टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग–12, लखनऊ दिनांक–04.12.2019 के अनुसार कम से कम 3.00 मीटर चौड़ी एवं 12.00 मी0 लम्बी होनी चाहिए।
10. बफर स्ट्रिप एवं रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) की बाउण्ड्री के बीच की दूरी दोनो तरफ कम से कम 9.00 मी0 होनी चाहिये।
11. मार्ग पर 300 मी0 की दूरी पर कोई अन्य रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) नहीं होना चाहिये।
12. रिटेल आउटलेट(पेट्रोल/डीजल पम्प) के पहुँच मार्ग में 150 एम0एम0 जी0एस0बी0, डब्लू0एम0एम0, 250 एम0एम0, 50 एम0एम0, डी0बी0एम0 तथा 30 एम0एम0,बी0सी0 का न्यूनतम पेवमेण्ट कम्पोजीशन होना चाहिये। इण्टरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक पेवमेण्ट का निर्माण IRC:SP 63 के मानकों के अनुसार होना चाहिये।

Anand

new comp patch sample Letter

Sanjay Anand
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

13. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल पम्प) का पेक्ट एरिया का लेविल सड़क के पेंटेड सतह के मध्य लेबिल से न्यूनतम 300 मिली0मी0 नीचे होना चाहिये ताकि सड़क पर परिसर का पानी न आने पाये।

14. ड्रेनेज हेतु पेट्रोल पम्प (पेट्रोल / डीजल पम्प)सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 2 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाये।

15. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि आर0ओ0डब्लू एवं बिल्डिंग लाइन के बाहर होना चाहिये तथा निर्माण सामग्री इसकी सीमा में एकत्रित न की जाये।

16. लोक निर्माण विभाग की स्थायी भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साइन–बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।

17. भविष्य में यदि सड़क का चौड़ीकरण होता है और विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहीत की जाती है तो आवेदक की किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

18. प्रस्तावित कार्य स्थल की भूमि का आउटलेट के स्वामी के नाम बतौर भू स्वामी दर्ज होने अथवा भू स्वामी द्वारा आउटलेट के स्वामी के नाम पंजीकृत लीज–डीड के निष्पादित किये जाने के सत्यापन(यदि नियमों में इसका प्राविधान हो) राजस्व विभाग द्वारा अवश्य करा लिया जाये। यदि उक्त आराजी आउटलेट के स्वामी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज न हो अथवा उक्त प्रस्तावित कार्यस्थल भूमि का मा0 न्यायालय में यदि कोई वाद / मुकदमा लम्बित हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र पर कोई विचार न किया जाये।

19. रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड / सूचना पट / कॉशन बोर्ड, अग्निशमन यंत्र इत्यादि लगवाने की व्यवस्था आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वयं के खर्चे पर कराना सुनिश्चित किया जाये।

20. पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज को बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 03 मी0 ऊपर रखा जाये।

21. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना के समय एवं स्थापना के पश्चात यातायात कदापि प्रभावित न किया जाये।

22. जल–मल निकासी मार्ग की तरफ न किया जाये तथा निर्माण सामग्री को मार्ग के किनारे पटरी पर न रखा जाये।

23. निर्माण स्थल के सामने एवं मुख्य मार्ग के बीच में बची हुयी लोक निर्माण विभाग की भूमि पर किसी कम्पनी का बोर्ड एवं लाइट आदि के पोल / खम्भे इत्यादि कदापि न लगाये जायेंगे।

24. प्रस्तावित निर्माण कार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष समयावधि में न होने पर आउटलेट स्वामी को पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना होगा।

25. लोक निर्माण विभाग की सरकारी भूमि जो प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग के रूप में उपभोगी होगी उसको सदैव सही दशा में प्रार्थी द्वारा रखने तथा इसका स्वामित्व सदैव उत्तर प्रदेश सरकार(लोक निर्माण विभाग) को ही रखने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र भू–स्वामी / पेट्रोल पम्प मालिक से प्राप्त करने के पश्चात् ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।

26. वेगान्तर लेन में स्थित विद्युत पोल को सुगम आवागमन हेतु सुविधाजनक स्थान पर शिफ्ट किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। दुर्घटना होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी रिटेल आउटलेट संचालक की होगी।

27. प्रस्तावित निर्माण कार्य शासनादेश संख्या–1882 / 23–12–19–1365 / 17टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक–04.12.2019 के प्राविधानों / विशिष्टियों एवं ANNEX-1 तथा 2 A & 2 B में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ही कराया जाये। यदि सर्कुलर में दिये गये विशिष्टियों / मानको के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं किया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आउटलेट स्वामी का होगा एवं निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

28. शासनादेश संख्या–1882 / 23–12–19–1365 / 17टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक–04.12.2019 के प्रस्तर–13 के अनुसार प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु नियमानुसार अनुसरण किया जाये।

29. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–1882 / 23–12–19–1365 / 17टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक–04.12.2019 के प्रस्तर–11.2 के अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिये मुबलिक रू0 3,00,000.00(रू0 तीन लाख मात्र) की लाइसेंस फीस सर्कुलर जारी होने की कलेण्डर वर्ष में तथा रू0 10,000.00(रू0 दस हजार मात्र) प्रोसेसिंग फीस के रूप में आवेदक द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, फतेहगढ़ के राजस्व मद में जमा कर दिया गया है। लीज खत्म होने की स्थिति में पुनः नवीनीकरण हेतु रू0 10,000.00 का नवीनीकरण शुल्क राजस्व मद में जमा किया जायेगा।

संलग्नक–मानचित्र दो प्रतियों में।

(के0सी0वर्मा)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, फतेहगढ़ को शासनादेश संख्या–1882 / 23–12–19–1365 / 17टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक–04.12.2019 के प्रस्तर –13.3 का अनुसरण करते हुये अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रकरण, निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुनः प्रेषित करें।

मुख्य अभियन्ता
कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0
कानपुर

1306 / ... 18-09-...
29/9/21

Anand
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

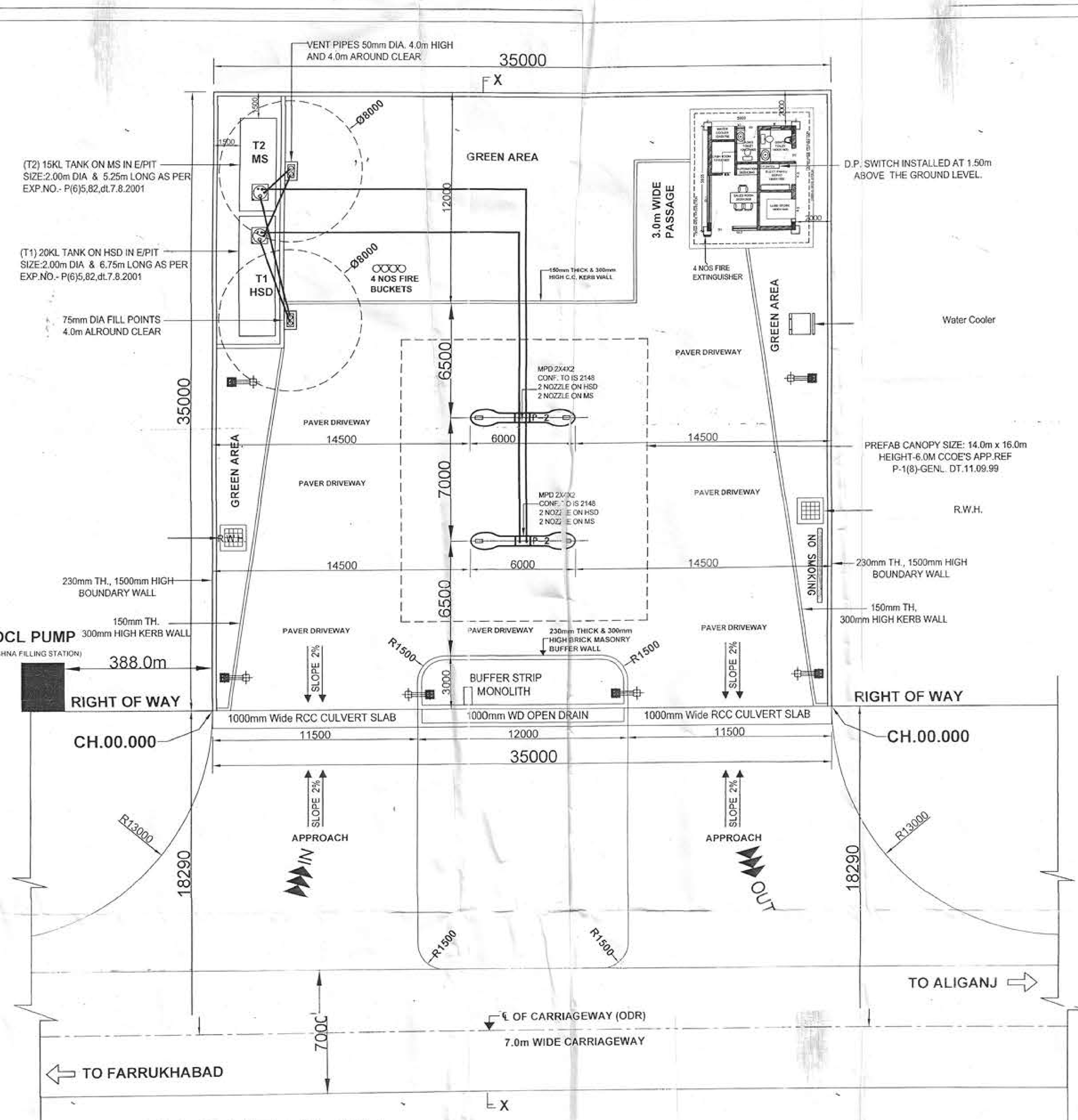

LAY OUT PLAN

(SCALE 1:200)

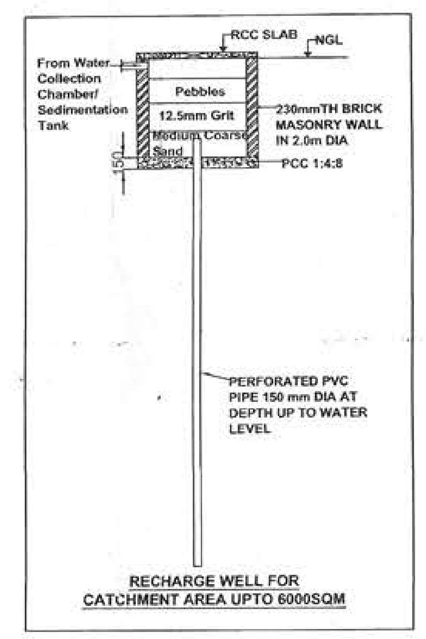

RECHARGE WELL FOR CATCHMENT AREA UPTO 6000SQM

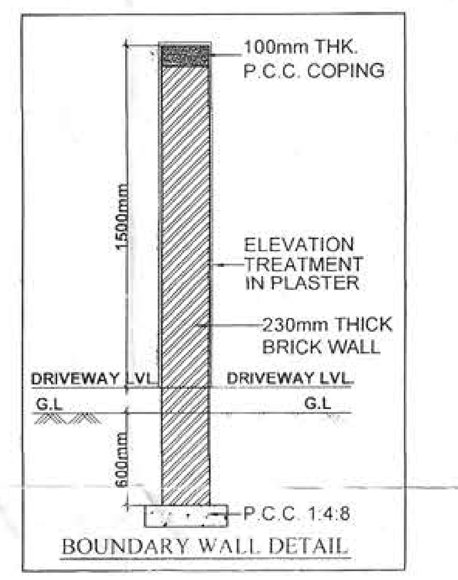

BOUNDARY WALL DETAIL

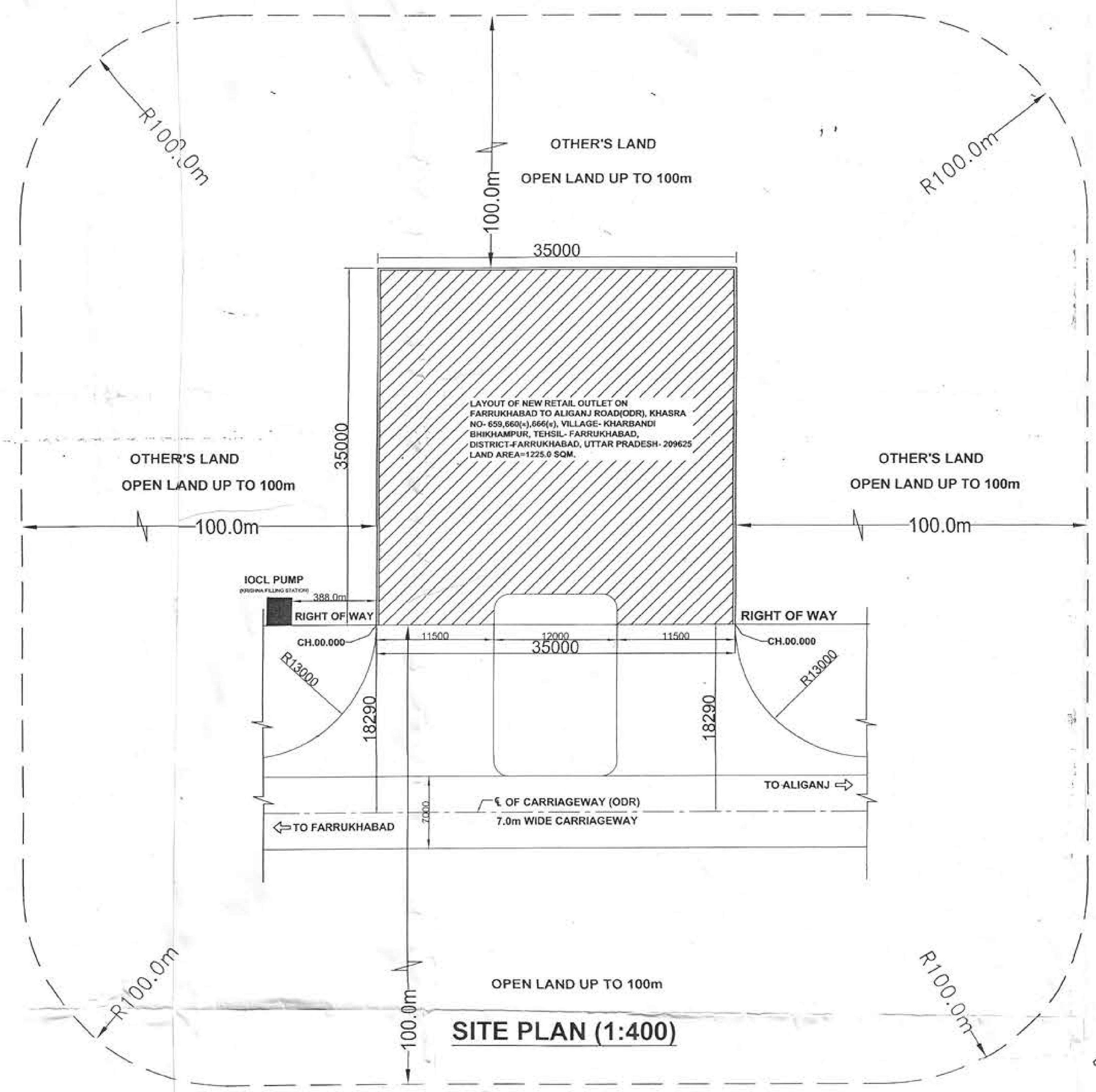

SITE PLAN (1:400)

शर्तें एवं प्रतिबन्ध –

1– प्रस्तावित रिटेल ऑउटलेट के नये पेट्रोल पम्प (पेट्रोल/डीजल पम्प) का निर्माण कार्य एटा कायमगंज फर्रुखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0–121) (शहरी भाग) के किमी0 100(730) में दायी ओर ग्राम खारबन्दी, भीखमपुर तहसील व जिला फर्रुखाबाद के खसरा नं0 659, 660क, 666ख में प्रस्तावित है।

2– रिटेल आउटलेट हेतु निर्माण कार्य एटा कायमगंज फर्रुखाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0–121) (शहरी भाग) के किमी0 100(730) में दायी ओर किया जायेगा।

3– प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नही किया गया है।

4– यू0पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल 1964 के नियम 7 के अनुसार आवेदक को प्रस्तावित निर्माण एवं रिटेल आउटलेट लगाने की अनुमति सड़क के मध्य से 18.29 मी0 अर्थात 60 फुट की दूरी पर निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जा सकता है:–

(I) आवेदक को निर्माण/पेट्रोल/डीजल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त निजी खर्चे से दोनो ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा।

(II) इस प्रकार की कोई भी स्थायी व अस्थायी संरचना नही की जायेगी, जो सुलभ यातायात में बाधित हो अथवा दुर्घटना का कारण बने।

(III) आवेदक द्वारा किसी भी दशा मे स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षा के पानी का बहाव इस प्रकार करना होगा कि पानी बिना अवरोध के सीधा नाली में ही आये। किसी भी दशा में नाली को बन्द नही किया जायेगा। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आये।

5– मानचित्र में दिये गये प्लान से निर्माण भिन्न होने की स्थिति में एवं उल्लिखित किन्ही भी शर्तो का पालन न होने की स्थिति मे अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मन्त्रालय तथा लोक निर्माण विभाग के समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

6– भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिये। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

7– रिटेल आउट लेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) के पहुँच मार्ग का रखरखाव भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 के डीलर द्वारा स्वयं के व्यय पर कराना होगा।

8– उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

9– बफर स्ट्रिप का निर्माण शासनादेश सं0 1882/23–12–19–1365/17टीसी लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 के अनुसार कम से कम 3 मी0 चौड़ी एवं 12 मी0 लम्बी होनी चाहिये।

10– बफर स्ट्रिप एवं रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) की बाउन्ड्री के बीच की दूरी दोनो तरफ कम से कम 9.00 मीटर होनी चाहियें।

11– मार्ग पर 300 मीटर की दूरी पर कोई अन्य रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) नही होना चाहियें।

12– रिटेल आउट लेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) के पहुँच मार्ग में 150एम0एम0 जी0एस0बी0, डब्लू0एम0एम0 250 एम0एम0, 50 एम0एम0 डी0बी0एम0 तथा 30 एम0एम0 बी0सी0 का न्यूनतम पेवमेण्ट कम्पोजीशन होना चाहिये। इण्टरलाकिंग कांक्रीट ब्लाक पेवमेण्ट का निर्माण IRC:SP:63 के मानकों के अनुसार होना चाहियें।

13– रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) का पेक्ट एरिया का लेबिल सड़क के पेटेड सतह के मध्य लेबिल से न्यूनतम 300 मिलीमीटर नीचे होना चाहिये, ताकि सड़क पर परिसर का पानी न आने पाये।

14– ड्रेनेज हेतु पेट्रोल पम्प (पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट) सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 2 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाये।

15– रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि, आर0ओ0डब्लू0 एवं बिल्डिंग लाइन के बाहर होना चाहियें तथा निर्माण सामग्री इसकी सीमा में एकत्रित न की जाये।

16– लोक निर्माण विभाग की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन–बोर्ड लगाना अनुमन्य नही होगा।

17– भविष्य मे यदि सड़क का चौडीकरण होता है और विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की जाती है तो आवेदक की किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नही होगी।

18– प्रस्तावित कार्यस्थल की भूमि का आउटलेट के स्वामी के नाम बतौर भूस्वामी दर्ज होने अथवा भूस्वामी द्वारा आउटलेट के स्वामी के नाम पंजीकृत लीज–डीड के निष्पादित किये जाने का सत्यापन (यदि नियमों में इसका प्राविधान हो) राजस्व विभाग द्वारा अवश्य करा लिया जाये। यदि उक्त आराजी आउटलेट के स्वामी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज न हो अथवा उक्त प्रस्तावित कार्यस्थल भूमि का मा0 न्यायालय में यदि कोई वाद/मुकदमा लम्बित हो, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र पर कोई विचार न किया जाये।

19– रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड/सूचना पट/काशन बोर्ड, अग्निशमन यन्त्र इत्यादि लगवाने की व्यवस्था आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वयं के खर्चे पर अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाये।

20– पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज को बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 5 मीटर ऊपर रखा जाये।

21– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना के समय एवं स्थापना के पश्चात यातायात कदापि प्रभावित न किया जाये।

22– जल–मल निकासी मार्ग की तरफ न किया जाये तथा निर्माण सामग्री को मार्ग के किनारे पटरी पर न रखा जाये।

23– निर्माण स्थल के सामने एवं मुख्य मार्ग के बीच में बची हुई लो0नि0वि0 की भूमि पर किसी कम्पनी का बोर्ड एवं लाइट आदि के पोल/खम्भे इत्यादि कदापि नही लगाये जायेंगे।

24– प्रस्तावित निर्माण कार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष समयावधि में न होने पर आउटलेट स्वामी को पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना होगा।

25– लो0नि0वि0 की सरकारी भूमि जो प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग के रूप में उपभोगी होगी उसको सदैव सही दशा में प्रार्थी द्वारा रखने तथा इसका स्वामित्व सदैव उ0प्र0 सरकार (लोक निर्माण विभाग) का ही रखने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र भू–स्वामी/पेट्रोल पम्प मालिक से प्राप्त करने के पश्चात् ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये।

26– वैगानार लेन में स्थित विद्युत पोल को सुगम आवागमन हेतु सुविधाजनक स्थान पर शिफ्ट किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नही होगा। दुर्घटना होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी रिटेल आउटलेट संचालक की होगी।

27– प्रस्तावित निर्माण कार्य शासनादेश सं0 1882/23–12–19–1365/17टीसी लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 के प्राविधानों/विशिष्टियों एवं ANNEX-I तथा II A & II B में दिये प्राविधानों के अनुसार ही कराया जाये। यदि सर्कुलर में दिये गये विशिष्टियों/मानक के अनुरूप निर्माण कार्य नही किया जाता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आउटलेट स्वामी का होगा एवं निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

28– शासनादेश सं0 1882/23–12–19–1365/17टीसी लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 के प्रस्तर–13 के अनुसार प्राथमिक अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु नियमानुसार अनुसरण किया जाये।

29– उक्त के अतिरिक्त शासनादेश सं0 1882/23–12–19–1365/17टीसी लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 के प्रस्तर–11.2 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिये मुबलिक रू0 3,00,000.00 (रू0 तीन लाख मात्र) की लाइसेंस फीस सर्कुलर जारी होने की कलेण्डर वर्ष मे तथा रू0 10,000.00 प्रोसेसिंग फीस के रूप मे कुल रू0 3,10,000.00 (रू0 तीन लाख दस हजार मात्र) आवेदक द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, फतेहगढ़ के राजस्व मद में जमा कर दिया गया है। लीज खत्म होने की स्थिति में पुनः नवीनीकरण हेतु रू0 [illegible],000.00 का नवीनीकरण शुल्क राजस्व मद में जमा किया जायेगा।

अधीक्षण अभियन्ता
कन्नौज फर्रुखाबाद वृत्त, लो0नि0वि0

THE TEST SHOULD BE MAINTAINED AT A CONTROLLED PRESSURE OF 0.36 Kg/Sq.cm. FOR 2 HOURS.

14. DIP RODS SUPPLIED WITH THE TANK FOR THE TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280mm LONG INSTEAD OF 2350mm.

15. FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATE AND END PLATE OF TANK 20KL SHELL -6mm END -8mm

16. TANKS CONFORM TO 124,125 &131 OF THE PR-2002.

17. ALL LIGHT POLES ARE FITTED AS PER APPROVAL OF C.C.O.E. NAGPUR VIDE LETTER NO.PL-111(MBI) DT. 26-11-1963.

18. NATURAL DOWN SLOPE FROM EDGE OF THE METAL ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL MAINTAIN FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.

19. SITE MEETS APPLICABLE IRC:12-1983 NORMS LATEST AMENDMENTS.

20. E.V.=EXTENDED VENT PIPES

21. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.

22. THERE IS NO OVERHEAD H.T. LINE PASSING THROUGH THE PLOT.

23. DRAWING PREPARED AS PER UP GOVERNMENT LATEST NORMS VIDE LETTER NO. 1882/23/12-19-1365/17TC DATED 04.12.19 (FIG. 5)

24. APPLICABLE I.R.C. NORMS ARE MET.

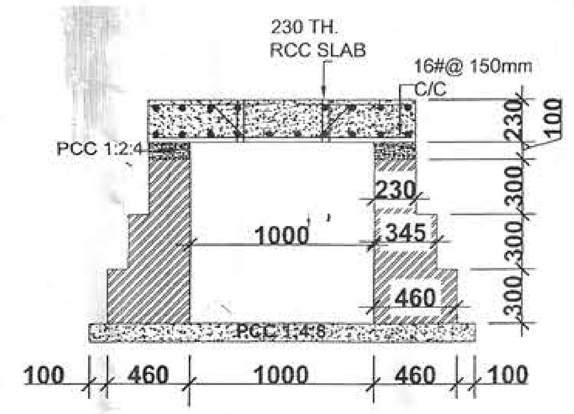

SECTION OF CULVERT(NTS)

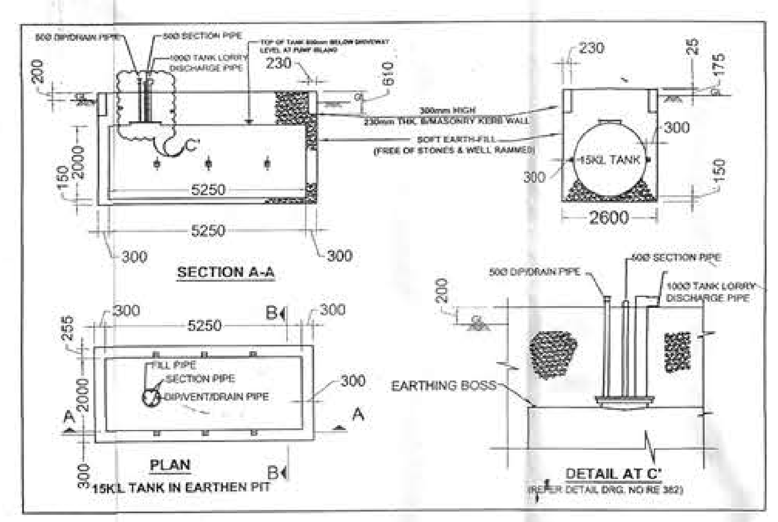

15KL TANK IN EARTHEN PIT

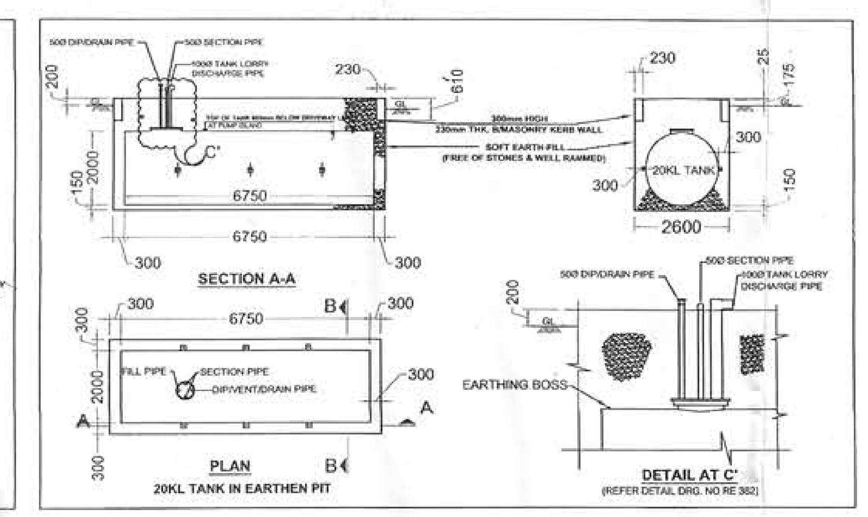

20KL TANK IN EARTHEN PIT

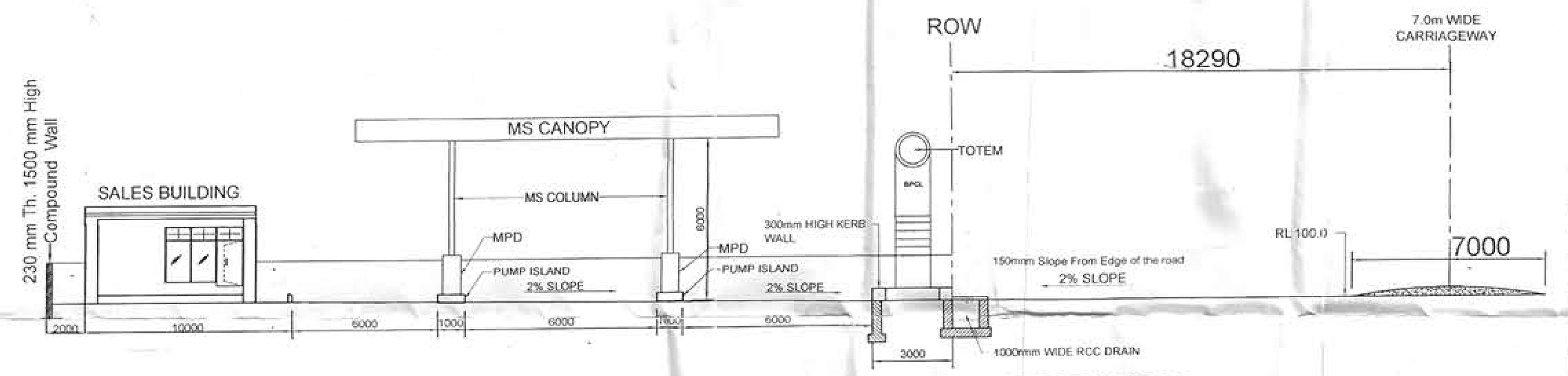

SECTIONAL VIEW SHOWING ELEVATION AND SLOPES OF FUEL STATION WITH RESPECT TO ROAD
SECTION AT X-X (NTS)

LAND DETAILS	
KHASRA NO :-	659,660(क),666(ख)
VILLAGE :-	KHARBANDI BHIKHAMPUR
TEHSIL :-	FARRUKHABAD
DISTRICT :-	FARRUKHABAD
STATE :-	UTTAR PRADESH
POLICE STN. :-	MAU DARWAJA
RLY STN. :-	FARRUKHABAD
PIN CODE :-	209625
ROAD TYPE :-	ODR
PLOT AREA :-	1225.00 SQM.

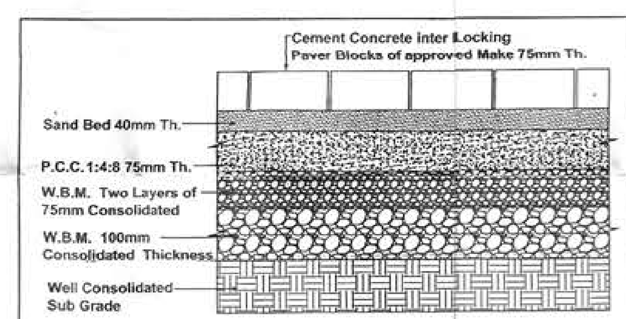

DETAIL SECTION OF DRIVEWAY

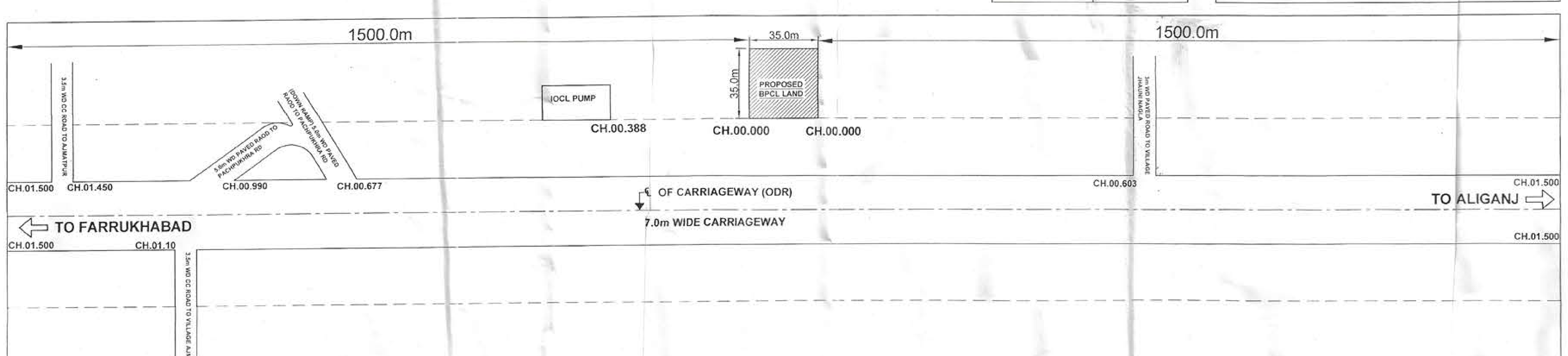

KEY PLAN IS SHOWING DETAIL OF 1.50Km BOTH SIDE FROM PROPOSED RETAIL OUTLET (NTS)

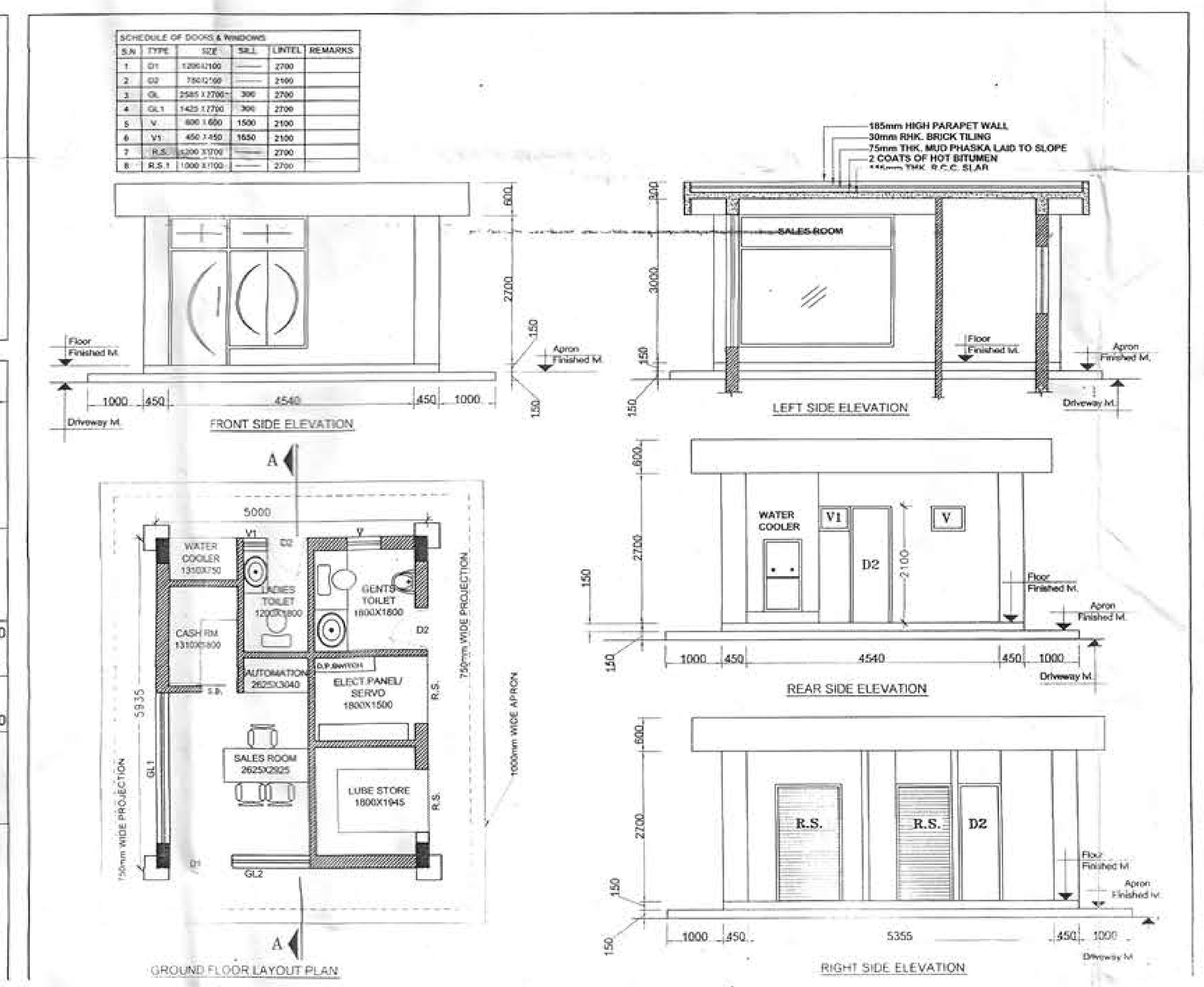

PUMP DETAIL:

S.No.	PRODUCT	CLASS
1-MPD	MS/HSD	A/B
2-MPD	MS/HSD	A/B

TANK TABLE:

S.NO.	PRODUCT	CAPACITY	LENGTH	DIA	REMARK
T-1	HSD	20KL	6750	2000	IN EARTHEN PIT
T-2	MS	15KL	5250	2000	IN EARTHEN PIT

LOCATION :

LAYOUT OF NEW RETAIL OUTLET ON FARRUKHABAD TO ALIGANJ ROAD(ODR), KHASRA NO- 659,660(क),666(ख), VILLAGE- KHARBANDI BHIKHAMPUR, TEHSIL- FARRUKHABAD, DISTRICT-FARRUKHABAD, UTTAR PRADESH- 209625
LAND AREA=1225.0 SQM.

DRAWING TITLE :

LAY OUT PLAN OF NEW RETAIL OUTLET

Scale	AS SHOWN ABOVE
Date	Jul-2020
Drawing No.	CEMG/BPCL/2020/Jul/65

CONSULTANTS:-
CEMG ENGINEERS & CONSULTANTS PVT. LTD.
Ist Floor, Ellora Complex, Khandari Xing, Surya Nagar,
Agra 282 002, U.P. India
Tel :- +91 562 2520383
E-mail :- nirmaan002@gmail.com/info@cemgindia.com
Web:- www.cemgindia.com

विशाल कुमार
Vishal Kumar
सहायक प्रबन्धक (इंजी.) रिटेल
Asstt. Manager (Engg.) Retail
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Bharat Petroleum Corporation Limited
Mathura-281006 (U.P.)

29/9/21
Sanjay Anand
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.